न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 57/2020 (75 एलआरए) मोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00088)

मोहनलाल आ0 रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी मालोनी तहसील खानपुर जिला झालावाड़

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन सरंक्षक झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध आदेश सहायक वन सरंक्षक झालावाड़
दिनांक 27.03.19 अंतर्गत प्रार्थना पत्र सं. 415/खानपुर/2019

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता, श्री शैलेन्द्र पोसवाल

2 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री मुकेश जैन

निर्णय

दिनांक 04.02.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत सहायक वन संरक्षक के प्रार्थना पत्र सं. 415/खानपुर/2019 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक झालावाड़ के समक्ष धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र सं. 416/खानपुर/2019 क्षेत्रीय अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा को नोटिस जारी किया परंतु अतिक्रमी उपस्थित नहीं हुए तथा एक तरफा कार्यवाही कर दिनांक 27.03.2019 को निर्णय पारित किया गया कि मोहनलाल आ0 रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी मालोनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.08 13:48:00 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा वन खण्ड धानोदा कंला की आराजी ग्राम मालोनी के ख0न0 327 की 2 बीघा भूमि में सरसों बुआई कर वर्ष 2018 में अतिक्रमण किया था जिसके फलस्वरूप इसे धारा 91 एल.आर.एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर मिसल नं. 415/खानपुर निर्णय दिनांक 27.03.2019 से बेदखल किया गया एवं शास्ती एवं फसल कीमत राशि रु. 2250/– आरोपित की गई थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अप्रार्थीगण को 30 दिवस के सिविल कारावास से सजायाब किया जाता है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र पोसवाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं पत्रावली संग्रहसार के सर्वथा विरूद्व होने से निरस्तनीय है, अपीलार्थी का किसी वन भूमि पर बतौर पश्चातवर्ती अतिचार कर फसल काश्त नही की है अपीलार्थी ने पूर्व में ही उक्त आराजी से कब्जा हटा लिया था और वर्तमान में भूमि रिक्त है, रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्भावना पूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की प्रोपर तामील भी नही करवाई गई, अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर नही गिया गया जिसके कारण अपीलान्ट न्याय पाने से वंचित रहा हैं। अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर से कब्जा हटा लिया है एवं भविष्य मे कभी भी कब्जा नही करेगा के बाबत शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2019 का ज्ञान प्रार्थी को उस समय हुआ जब उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट को गिरफ्तार करने आये तभी अपीलान्ट द्वारा निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश की है जिसे दिनांक ज्ञान से अवधि मध्य मानी जावे जिसका प्रा0पत्र धारा 5 कानून मियाद पत्र के पृथक से संलग्न किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उक्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.03.2019 अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.08 13:43.09 IST
Reason: SelfAttested

5 रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री [illegible] ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण आदेश विधि अनुसार पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट अतिक्रमी है जिसके समर्थन में रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है तथा सहायक वनपाल की साक्ष्य ली गई है जो पर्याप्त है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने एवं निर्णय भी एक पक्षीय होने के कारण अपीलांट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8 अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में पहला तर्क यह दिया है कि अपीलांट को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट को जो नोटिस दिनांक 2703.2019 को केम्प खानपुर में उपस्थित होने दिया गया था उसकी तामील मुकेश नाम के व्यक्ति होना नोटिस की पुश्त पर अंकित किया गया है, उक्त व्यक्ति से अपीलान्ट का क्या सम्बन्ध है स्पष्ट नही है ।

अपीलांट के अधिवक्ता का दूसरा तर्क है कि अपीलान्ट पर द्वितीय अतिचार प्रमाणित नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि सहायक वनपाल के बयान किस दिनांक को किसके समक्ष लिये गये अंकित नहीं हैं। बयानों के अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं और अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में भी बयानों का विवरण अंकित नहीं हैं। बयान एवं निर्णय दिनांक 27.03.2019 द्वितीय अतिकमण पश्चातवर्ती होना अंकित किया है लेकिन इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व के वर्षों में किये गये निर्णय को एवं उसकी पालना में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को प्रमाणित नहीं किया है।

9 उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को विधिवत तामील नही होना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पश्चातवर्ती अतिकमण मानकर अपीलान्ट को सिविल कारावास से दण्डित किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न क्षैत्रीय वन अधिकारी खानपुर की रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2018 में अपीलान्ट का अतिकमण होना बताया गया है परन्तु अतिचारी को उक्त आराजी पर से कब बेदखल किया गया पत्रावली से प्रमाणित नही होता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व अतिचार के [illegible] में निर्णय पारित करना अंकित किया है लेकिन पेनल्टी बाकी होना भी अंकित है, बेदखली के प्रमाण स्वरूप कोई मौका फर्द या दस्तावेज संलग्न नही है। अतः [illegible] 2018 में किए अतिचार से बेदखली होना प्रमाणित नही होता है। माननीय राजस्व मण्डल ने कई निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि धारा 91 के प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करके अप्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.08 13:43:09 IST
Reason: Self Attested

अनुपस्थिति में सुनवाई का अवसर दिये बिना सजा दिया जाना कठोरतम दण्ड है। सजा जैसे कठोरतम दण्ड देने से पूर्व अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकरण में अपीलांट को नोटिस की प्रोपर तामील होना भी नहीं पाया जाता है। और न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने, हटाने का कोई प्रमाण है, द्वितीय अतिचार किस आधार पर माना गया है स्पष्ट नही किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को सिविल कारावास की सजा देने से पूर्व द्वितीय अतिचार प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। उपरोक्त विवेचन से पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही होना पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का सिविल कारावास का निर्णय एक पक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत त्रुटिपूर्ण पारित किया गया है, जिसके कारण अपीलान्ट को दी गई 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट को दी गई 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

11 निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.08 13:43:09 IST
Reason: SelfAttested